

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2071 / अकादमी / पाठ्यक्रम (चि.सं) / 2011

भोपाल, दिनांक 03.11.11

अधिसूचना

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12-9-2011 के पद क्रमांक 11/5/31 में लिये गए निर्णय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21-9-2011 में की गई संपुष्टि उपरांत भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक डी.ई.-130-2011/बी-2211 दिनांक 26-8-2011 द्वारा संशोधित बी.डी.एस. पाठ्यक्रम (तृतीय संशोधन) विनियम 2011 को विश्वविद्यालय में प्रभावशील किया जाता है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में 5 (पाँच) वर्षीय बी.डी.एस. पाठ्यक्रम डेन्टल काउन्सिल ऑफ़ इन्डिया की अधिसूचना दिनांक 25-7-2007 (द्वितीय संशोधन) के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। दिनांक 25-8-2011 को डी.सी.आई. की (तृतीय संशोधन) संबंधी अधिसूचना जो कि भारत सरकार के गजट में प्रकाशित की जा चुकी है, के अनुसार बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की अवधि में संशोधन किया गया है। परिवर्तित बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की अवधि, 4 वर्ष के साथ एक वर्ष की इन्टर्नशिप, अतः 5 वर्ष की होगी।

संशोधित बी.डी.एस. पाठ्यक्रम योजना वर्ष 2008-09 से प्रभावशील होगी।

संलग्न : डी.सी.आई. की अधिसूचना दि. 25-8-11

कुलसचिव

पृ क्रमांक 2072/ अकादमी / पाठ्यक्रम (चि.सं) / 2011

भोपाल, दिनांक 03.11.11

प्रतिलिपि:-

1. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
प्राचार्य.....
2. सचिव, भारतीय दन्त परिषद, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. डॉ. मनीषा तिजारे, अध्यक्ष, दन्त चिकित्सा पाठ्यक्रम अध्ययन समिति, ब.वि.वि. भोपाल।
6. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक।
7. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा) ब.वि.वि. भोपाल।
8. परीक्षा नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
9. सहायक, (पात्रता / सम्बद्धता विभाग) बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल।
10. डॉ. अमित दत्ता, वेबसाइट प्रभारी, बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।